26/6/25

वकील उपस्थित हुए। एवं वकील अभिभाषक का कथन लिया गया। मामला में पक्ष प्रार्थना बादग्रस्त आराजीनामा पेश करने के सम्बन्ध की मांग की है। मैसमानात का अभाव निर्णयाधीन के पश्चात लिखने का उपयुक्त लिया गया है। मामला हमारा अधिकार पत्र सम्बन्धित करने के लिए कोई उचित साक्ष्य उपस्थित नहीं किये है। अतः बादग्रस्त के मैसमानात 1 से 8 के [illegible] की कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी मामला [illegible] के विरुद्ध कार्यवाही होने के कारण [illegible]। प्रार्थी मामला विरुद्ध मैसमानात [illegible] लिखा जाता है। पक्षकारों [illegible] होकर नहीं के कारण [illegible] के पक्ष में मामला रद्द आदेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)